HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11000/2026
CNR: RJHC020658472026 | URN: CRLMB / 20355U / 2026

Mukesh S/o Ramprakash @ Ramsahai Meena, Aged About 27 Years, R/o Village Matlana, Police Station Jhanpda, Tehsil Nirjharna, District Dausa, Rajasthan.

----Accused-Petitioner/Applicant

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Non-Petitioner

For Petitioner(s)	:	Mr. Umashanker Pandey
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

20/08/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 09/2026 अपराध अंतर्गत धारा 318(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त मजदूर है। जिस दिनांक की घटना बताई गई है, उस दिनांक को वह गुजरात में मजदूरी कर रहा था, इस संबंध में उसने मस्टर कार्ड की प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त से बरामदगी शेष होने के तथ्य तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर परिवादी मुकेश गुर्जर के पास एक फोन आया और कहा कि यदि आपको डीजल चाहिए तो मैं आपको 60 रूपए लीटर में दे दूंगा तथा बताया कि मैं डम्पर चलाता हूं और 4–5 डम्परों का डीजल इकट्ठा है मेरे जाने पर मुझसे उसने उससे पैसे मांगे और मैंने नगद 20,500/– रुपए दे दिए, उसके बाद वह वहां से चला गया और फरार हो गया। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया और एक अन्य अभियुक्त रामप्रकाश मीना को गिरफ्तार किया गया और 20,500/– रुपए में से रामप्रकाश मीना के पास 2000/– रुपए और शेष राशि 18,500/– रुपए मुकेश मीना के पास होना बताया गया है। पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त मुकेश मीना से 18,500/– रुपए बरामद किया जाना तथा अनुसंधान शेष होना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त मुकेश मीना के विरुद्ध वर्ष 2015 से 2026 तक 7 आपराधिक प्रकरण विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हैं, जिसमें से 4 प्रकरण चोरी से संबंधित हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया हो और उसने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया हो यह तथ्य इस स्तर पर नहीं कहा जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान तथा बरामदगी किया जाना शेष है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मुकेश पुत्र रामप्रकाश उर्फ रामसहाय मीना** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

117/KISHAN SONI